

GOVERNMENT OF RAJASTHAN
FINANCE (EXCISE & REVENUE) DEPARTMENT

NOTIFICATION

No. F. 4 (105) FD/R&A. I/92

Jaipur, dated: February 17, 1998.

In pursuance of Rule 21 of the Rajasthan Service - Rules, 1951 the Government of Rajasthan hereby makes the following amendment in the Rajasthan Government Servants Insurance Rules, 1953, namely :-

AMENDMENT

1. (i) These rules may be called the Rajasthan Government Servants Insurance (Amendment) Rules, 1998.
(ii) They shall be deemed to have come into force with effect from the 1st of April, 1998.
2. The Appendix X of the said rules shall be substituted by the following, namely :-

"TABLE OF SLAB RATES OF PREMIUM"

S.No.	Pay Slab	Rate of Premium (Rs.)
1.	Rs. 2550 to 3700	150
2.	Rs. 3701 to 5000	200
3.	Rs. 5001 to 8000	300
4.	Rs. 8001 to 12000	450
5.	Above Rs. 12000	600

Explanation:

- (i) The assured official is not required to fill in the declaration for further assurance in relaxation of provision of Rule 16.
 - (ii) The new slab rates would be applicable to salaries of March paid in April, 1998"
3. In rule 13 the existing clause (i) of Sub-rule (2) shall be substituted as below :-
"(2)(i) An insured person may at his option, contribute premium of either of the rates specified in the next two slabs over the premium rate applicable to him under sub-rule (i) provided that an insured person paying normal premium at the rate : Rs. 450 per month or Rs. 600 per month may contribute either Rs. 600 per month or Rs. 800 per month."

By Order of the Governor,
Sd/-
(Dr. Adarsh Kishore)
Principal Secretary to the Govt.

कार्यालय, निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधानी निधि विभाग
राजस्थान जयपुर ।

क्रमांक:-एफ-19/बीमा/व्य.सं.प./94-95/2410-2490 दिनांक:-21.3.98

प्रतिनिधि समस्त जिला कार्यालयों को प्रेषित कर लेख है कि माह मार्च 98 देा अप्रैल 98 के वेतन बिलों में उपरोक्त संशोधित दर अनुसार प्रीमियम कटौती किया जाना सुनिश्चित करावें । साथ ही यह भी सुनिश्चित करे कि जो कर्मचारी प्रथम बार बीमा योजना के अन्तर्गत लागे गये है उनके द्वारा एवं जिन बीमेदार कर्मचारियों ने उस पर लागू छण्ड दर से अगली प्रथम या द्वितीय छण्ड दर पर स्वेच्छा से प्रीमियम देना प्रारम्भ किया है उनके द्वारा पूर्ति किया गया घोषणा पत्र वेतन बिलों के साथ प्राप्त हो गया है । यदि इन मामलों में घोषणा पत्र प्राप्त नहीं हुआ हो तो तत्सम्बन्धी आदेश केम बिलों पर लागू करावें ।

उप/सहायक निदेशक
राज्य बीमा एवं प्रावधानी विभाग
जिला कार्यालय

॥ एसपी सिंह ॥
अतिरिक्त निदेशक/बीमा
राज्य बीमा एवं प्रावधानी विभाग
राजस्थान जयपुर ।

प्रतिनिधि निम्न को सुपनार्थ प्रेषित हैं :-

- 1- समस्त अधिकारी मुख्य कार्यालय
- 2- अतिरिक्त निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधानी विभाग सम्भाग
- 3- अवेक्षण अधिकाारी स्थानीय अवेक्षण दल महालेखाकार बीमा भवन
- 4- प्रविक्षक/अधीक्षक/लेखाकार प्भारी अनुभाग लेखा अनुभाग/संस्थापन/अन्तरीक अवेक्षण/सी.आर.एस./व्य.सं.प./प्रावधानी अनुभाग मुख्य कार्यालय ।
- 5- निजि सहायक निदेशक ।
- 6- रक्षित फ़ाइली ।

उप निदेशक/बीमा
राज्य बीमा एवं प्रावधानी विभाग
राजस्थान जयपुर ।